




फर्द अहकाम

रूपचन्द बनाम प्रकाशचन्द वगैरे

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी  
केस संख्या.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/2/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील रूप में पत्रावली वास्ते <u>वकीलतनुमा</u> दिनांक 24/4/25 को पेश हो। 
	24/4/25	पत्रावली पेश हुई है परंतु अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/6/25 को पेश है। 
	15/5/25	आज यह पत्रावली भूलवाड के साथ तलब की गई। वाडी ने अपना भूलवाड राजीनामा होने के कारण विज्ञा कर खारिज करा लिया है। इसलिये जा.पत्र 7-2, का भी आगे चलाने का औचित्य शेष नहीं रहा। अतः जा. पत्र अल्पाई विषेद्याज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कुलल शुमार होकर पर्जन से कम हो जाखिल दफ्तर रहे।  उपखण्ड अधिकारी फागी